

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अमरचन्द बनाम कालु (सर्गेश)

सम मुकदमा प्रा-पत्र 111-128 नं० 128 सन् 2021

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
मे जारी हुए

21 वाद / प्राथनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 13.10.21 को
पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक क्लर्क माण्डल

12/21 पत्रावली प्रशासन गाँव के लेग अडिपान हेमचन्द्र
पंचायत आलमास मे पेश हुई अजाधीगण के समन
बाद तामील होकर प्राप्त हुए एवं तहसीलदार माण्डल
प्रत्यार हल्का सचिवारी द्वारा विपक्षी पेश हुई जिले
शा-पञ्चिका गया। अजाधीगण का जर्जना पत्र स्वीकार
सिद्ध जाकर जिलेपि हक ले लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फं सन शुमार होकर
नम्बर से कम हो

अ. पूजा सरसेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
महाराष्ट्र पीपी के संन अधिकायन 2021



वार्षिक
जो
ता
री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

गैठसीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मा संख्या :- 128/21 प्र/047

श्री अमरचन्द 510 361 बलाई निवासी - आलगास तहसील मांडल (भीलवाड़ा)

बनाम
श्री कालु 510 हाथीराम बाहाण निवासी - आलगास तहसील - मांडल (भीलवाड़ा)
--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 8/12/21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा.ज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
न किया कि ग्राम..... आलगास पटवार हल्का..... आलगास तहसील मांडल/में उसके
संयुक्त खातों की आराजी नं..... 1390/242, 1417/242 कुल किता 02
..... 1.0118 हेक्टेयर..... स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
यिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते
क्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें ।
प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 24.9.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
कारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेश
तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... आलगास
र हल्का..... आलगास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 1390/242, 1417/242
..... कुल किता 02 रकबा..... 1.0118 हेक्टेयर.....
के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
रगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... अमरचन्द को 500/-
ये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें ।
मिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
2021

तैल्लिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की
कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

311

iscan